IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में महिला सशक्तिकरण पर एक नजर

Dr. Amit Kumar Das
Assistant professor
Teachers' Training College, Bhagalpur
Plot No. D-9,10 & N.S. Plot Large Industrial Estate, Barari, Bhagalpur - 812003

महिला सशक्तिकरण के बारे में जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम 'सशक्तिकरण' से क्या समझतें है। 'सशक्तिकरण' से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस योग्यता से है। जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। 'महिला सशक्तिकरण' के इस लेख में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे है, जहाँ महिलाएँ परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो। आशा करते हैं कि यह लेख आपको समाज में महिलाओं की स्थिति और अधिकारों से अवगत करवाने में सक्षम होगा और महिला सशक्तिकरण के विषय में आपकी जानकारी को और अधिक विस्तृत करेगा।

प्रस्तावना :- निसंदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न-भिन्न भूमिकाएं जीते हुए, महिलायें किसी भी समाज का स्तम्भ है। हमारे आस पास महिलायें, सहृदय बेटियां, संवेदनशील माताएं, सक्षम सहयोगी और अन्य कई भूमिकाओं को बड़ी कुशलता व सौम्यता से निभा रहीं है। लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नजरअंदाज करता है। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा सहन करना पड़ता है। सदियों से ये बंधन महिलाओं को पेशेवर व व्यक्तिगत ऊंचाइयों को प्राप्त करने से अवरुद्ध करते रहे हैं।

भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति सेव लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक, भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं। विशेष रूप से महिलाओं की भूमिका की चर्चा करने वाले साहित्य के स्रोत बहुत ही

कम हैं ये 1730 ई. के आसपास तंजावुर के एक अधिकारी त्र्यम्बकयज्वन का स्त्रीधर्म पद्धति इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद है। इस पुस्तक में प्राचीन काल के अपस्तंभ सूत्र (चौथी शताब्दी ई.पू.) के काल के नारी सुलभ आचरण संबंधी नियमों को संकलित किया गया है। इसका मुखड़ा छंद इस प्रकार हैः मुख्यो धर्मः स्मृतिषु विहितो भार्तृशुश्रुषानम हि स्त्री का मुख्य कर्तव्य उसके पति की सेवा से जुड़ा हुआ है। जहाँ सुश्रूषा शब्द (अर्थात, "सुनने की चाह) में ईश्वर के प्रति भक्त की प्रार्थना से लेकर एक दास की निष्ठापूर्ण सेवा तक कई तरह के अर्थ समाहित हैं।

विद्वानों प्राचीन भारत में महिलाओं का स्थान का मानना है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल था। हालांकि कुछ अन्य विद्वानों का नजरिया इसके विपरीत है। पतंजलि और कात्यायन जैसे प्राचीन भारतीय व्याकरणविदों का कहना है कि प्रारम्भिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेदिक ऋचाएं यह बताती हैं कि महिलाओं की शादी एक परिपक्व उम्र में होती थी और संभवतः उन्हें अपना पति चुनने की भी आजादी थी। ऋग्वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथ कई महिला साध्वियों और संतों के बारे में बताते हैं जिनमें गार्गी और मैत्रेयी के नाम उल्लेखनीय हैं। प्राचीन भारत के कुछ साम्राज्यों में नगरवधु ("नगर की दुल्हन") जैसी परंपराएं मौजूद थीं। महिलाओं में नगरवधु के प्रतिष्ठित सम्मान के लिये प्रतियोगिता होती थी। आम्रपाली नगरवधु का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण रही है। अध्ययनों के अनुसार प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को बराबरी का दर्जा और अधिकार मिलता था। हालांकि बाद में (लगभग 500 ईसा पूर्व में) स्मृतियों (विशेषकर मनुस्मृति) के साथ महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरु हो गयी और बाबर एवं मुगल साम्राज्य के इस्लामी आक्रमण के साथ और इसके बाद ईसाइयत ने महिलाओं की आजादी और अधिकारों को सीमित कर दिया। हालांकि जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलनों में महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने की अनुमति दी गयी है, भारत में महिलाओं को कमोबेश दासता और बंदिशों का ही सामना करना पड़ा है। माना जाता है कि बाल विवाह की प्रथा छठी शताब्दी के आसपास शुरु हुई थी।

ऐतिहासिक प्रथाएं :- कुछ समुदायों में सती, जौहर और देवदासी जैसी परंपराओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और आधुनिक भारत में ये काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं। हालांकि इन प्रथाओं के कुछ मामले भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी देखे जाते हैं। कुछ समुदायों में भारतीय महिलाओं द्वारा परदा प्रथा को आज भी जीवित रखा गया है और विशेषकर भारत के वर्तमान कानून के तहत एक गैरकानूनी कृत्य होने के बावजूद बाल विवाह की प्रथा आज भी प्रचलित है। सती सती प्रथा एक प्राचीन और काफी हद तक विलुप्त रिवाज है, कुछ समुदायों में विधवा को अपने पति की चिता में अपनी जीवित आहुति देनी पड़ती थी। हालांकि यह कृत्य विधवा की ओर से स्वैच्छिक रूप से किये जाने की उम्मीद की जाती थी, ऐसा माना जाता है कि कई बार इसके लिये विधवा को मजबूर किया जाता था। 1829 में अंग्रेजों ने इसे समाप्त कर दिया। आजादी के बाद से सती होने के लगभग चालीस

मामले प्रकाश में आये हैं। 1987 में राजस्थान की रूपकंवर का मामला सती प्रथा (रोक) अधिनियम का कारण बना।

जौहर :- जौहर का मतलब सभी हारे हुए (सिर्फ राजपूत) योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों के शत्रु द्वारा बंदी बनाये जाने और इसके बाद उत्पीड़न से बचने के लिये स्वैच्छिक रूप से अपनी आहुति देने की प्रथा है। अपने सम्मान के लिए मर-मिटने वाले पराजित राजपूत शासकों की पत्नियों द्वारा इस प्रथा का पालन किया जाता था। यह कुप्रथा केवल भारतीय राजपूतोंशासक वर्ग तक सीमित थी प्रारंभ में और राजपूतों ने या शायद एक-आध किसी दूसरी जाति की स्त्री ने सति (पतिर्धपता की मृत्यु होने पर उसकी चिता में जीवित जल जाना) जिसे उस समय के समाज का एक वर्ग पुनीत धार्मिक कार्य मानने लगा था। कभी भी भारत की दूसरी लडाका कोमो या जिन्हे ईन्गलिश में "मार्शल कौमे" माना गया उनमें यह कुप्रथा कभी भी कोई स्थान न पा सकी। जाटों की स्त्रीयां युद्ध क्षेत्र में पति के कन्धे से कन्धा मिला दुश्मनों के दान्त खट्टे करते हुए शहीद हो जाती थी। मराठा महिलाएँ भी अपने योधा पति की युधभूमि में पूरा साथ देती रही हैं।

परदा :- परदा वह प्रथा है जिसमें कुछ समुदायों में महिलाओं को अपने तन को इस प्रकार से ढंकना जरूरी होता है कि उनकी त्वचा और रूप-रंग का किसी को अंदाजा ना लगे। यह महिलाओं के क्रियाकलापों को सीमित कर देता है यह आजादी से मिलने-जुलने के उनके अधिकार को सीमित करता है और यह महिलाओं की अधीनता का एक प्रतीक है। आम धारणा के विपरीत यह ना तो हिंदुओं और ना ही मुसलमानों के धार्मिक उपदेशों को प्रतिबिंबित करता है, हालांकि दोनों संप्रदायों के धार्मिक नेताओं की लापरवाही और पूर्वाग्रहों के कारण गलतफहमी पैदा हुई है।

देवदासी :- देवदासी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में एक धार्मिक प्रथा है जिसमें देवता या मंदिर के साथ महिलाओं की "शादी कर दी जाती है। यह परंपरा दसवीं सदी ए.डी. तक अच्छी तरह अपनी पैठ जमा जुकी थी। बाद की अवधि में देवदासियों का अवैध यौन उत्पीडन भारत के कुछ हिस्सों में एक रिवाज बन गया।

अंग्रेजी शासन:- यूरोपीय विद्वानों ने 19वीं सदी में यह महसूस किया था कि हिंदू महिलाएं "स्वाभाविक रूप से मासूम और अन्य महिलाओं से "अधिक सच्चरित्र" होती हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, आदि जैसे कई सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान के लिये लड़ाइयाँ लड़ीं हालांकि इस सूची से यह पता चलता है कि राज युग में अंग्रेजों का कोई भी सकारात्मक योगदान नहीं था, यह पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि मिशनरियों की पत्नियाँ जैसे कि मार्था मौल्ट नी मीड और उनकी बेटी एलिजा काल्डवेल नी मौल्ट को दक्षिण भारत में लड़कियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये आज भी याद किया जाता है यह एक ऐसा प्रयास था जिसकी शुरूआत में स्थानीय स्तर पर रुकावटों का सामना करना पड़ा क्योंकि इसे परंपरा के रूप में अपनाया गया था। 1829 में गवर्नर

जनरल विलियम केवेंडिश-बेंटिक के तहत राजा राम मोहन राय के प्रयास सती प्रथा के उन्मूलन का कारण बने। विधवाओं की स्थिति को सुधारने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संघर्ष का परिणाम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 के रूप में सामने आया। कई महिला सुधारकों जैसे कि पंडिता रमाबाई ने भी महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य को हासिल करने में मदद की। कर्नाटक में कित्तूर रियासत की रानी, कित्तूर चेन्नम्मा ने समाप्ति के सिद्धांत (डाक्ट्रिन ऑफ लैप्स) की प्रतिक्रिया में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। तटीय कर्नाटक की महारानी अब्बक्का रानी ने 16वीं सदी में हमलावर यूरोपीय सेनाओं, उल्लेखनीय रूप से पुर्तगाली सेना के खिलाफ सुरक्षा का नेतृत्व किया। झाँसी की महारानी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोहका झंडा बुलंद किया। आज उन्हें सर्वत्र एक राष्ट्रीय नायिका के रूप में माना जाता है। अवध की सह-शासिका बेगम हजरत महल एक अन्य शासिका थी जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने अंग्रेजों के साथ सौदेबाजी से इनकार कर दिया और बाद में नेपाल चली गयीं। भोपाल की बेगमें भी इस अवधि की कुछ उल्लेखनीय महिला शासिकाओं में शामिल थीं। उन्होंने परदा प्रथा को नहीं अपनाया और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी लिया। चंद्रमुखी बसु, कादंबिनी गांगुली और आनंदी गोपाल जोशीकुछ शुरुआती भारतीय महिलाओं में शामिल थीं जिन्होंने शैक्षणिक डिग्रियाँ हासिल कीं. 1917 में महिलाओं के पहले प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की माँग के लिये विदेश सचिव से मुलाकात की जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन हासिल था। 1927 में अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया गया था। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से बाल विवाह निषेध अधिनियम को पारित किया गया जिसके अनुसार एक लड़की के लिये शादी की न्यूनतम उम्र चौदह वर्ष निर्धारित की गयी थी। हालांकि महात्मा गाँधी ने स्वयं तेरह वर्ष की उम्र में शादी की, बाद में उन्होंने लोगों से बाल विवाहों का बहिष्कार करने का आह्वान किया और युवाओं से बाल विधवाओं के साथ शादी करने की अपील की। भारत की आजादी के संघर्ष में महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी. भिकाजी कामा, डॉ० एनी बेसेंट, प्रीतिलता वाडेकर, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, अरुना आसफ अली, सुचेता कृपलानी और कस्तूरबा गाँधी कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय नाम हैं मुथुलक्ष्मी रेड्डी, दुर्गाबाई देशमुख आदि। सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी की झाँसी की रानी रेजीमेंट कैप्टेन लक्ष्मी सहगल सहित पूरी तरह से महिलाओं की सेना थी। एक कवियित्री और स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडूभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला और भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं।

वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति :- 'वर्षों से जहाँ औरतें देवी की स्वरुप मानी जाती हैं वहीं मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित रहा है। यह विडम्बना नहीं तो और क्या है? कैसे विश्वास किया जाए इन रीति-रिवाजों पर ? जब मन किया देवी बना दिया, जब मन किया अछूत बना

दिया। इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं कि स्त्री को इस समाज ने अपनी आवश्यकतानुसार जी भरकर भोगा है। सवाल तो यही है यदि भोग की वस्तु ही मानना था, तो देवी क्यों बनाया? शायद इसलिए कि बुद्धिप्राप्त इस स्त्री नामक जीव का उपभोग किया जा सके। यह अनावश्यक नहीं एक षड़यंत्र है, महिलाओं को अपने वश में कर उसका शोषण करने के लिए। कोई भी रिति-रिवाज उठाकर देखें तो वहां लाभ से ज्यादा औरतों की विवशता है, जैसे- सिंदूर लगाना, ससुराल जाना, ससुराल की घोर शोषणकारी रश्मों-रिवाज अगैरह बगैरह। रिवाजें तो यहाँ तक भी है सूरज उगने से पहले उठना, झाड़ू लगाना, सबसे बाद में खाना, कोई नहीं खाए तो मत खाना। बेशक कुछ लोग इन रिवाजों को रिवाज के स्थान पर वैज्ञानिकता और तर्क को पेश कर सही ठहरा सकते हैं। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में परिस्थिति कुछ सुधरी है, और सुधार की ओर अग्रसर है। मैं आज महिलाओं पर हुए इस षड़यंत्र को समझ पा रही हूँ, यह भी सुधार का एक संकेत है।

महिलाओं पर हिंसा बढ़ी है इसलिए नहीं कि स्थिति पहले से बदतर हो रही है इसलिए कि महिलाएं आज अपना हक मांग रही है। बलात्कार के मामले पहले से ज्यादा दर्ज हुए हैं, इसलिए नहीं कि बलात्कार बढ़ गया बल्कि इसलिए कि महिलाएं आज बलात्कार को जुर्म मान रही हैं, इसे सामने ला रही है, मुकदमा दर्ज कर रही हैं। यह सब हमारी सामाजिक प्रवृति में सुधार का फल है जो अब इस मामले को पहले की अपेक्षा संवेदनशीलता से लिया जा रहा है। लेकिन इस सुधार की भी अजीब विडम्बना है। आज जहाँ महिला सशक्तिकरण पर जोर है, महिलाएं पढ़-लिख रही हैं, बराबरी का अधिकार माँग रही है वहीं इस सुधार के बदले उनके प्रति प्रतिशोध बढ़ा है। काम-काजी औरतें घर की संभाल के दबाव से पीड़ित हैं। वही स्त्रियां रश्मों-रिवाजों और गैर बराबरी की चली आ रही प्रवृति को तोड़ने के बदले अमानवीय व्यवहार से भी पीड़ित हैं।

किसी परिवार से या समाज से पहली बार कोई लड़की घर से बाहर शहर में रहकर पढ़ने का बीड़ा उठाए तो उसके लिए उसे शाबाशी नहीं, जिल्लत और धिक्कार सहना पड़ता है। चाहे कोई भी छोटी से छोटी सुधार की बात क्यों न हो, उसके लिए उसे प्रतिशोध सहन करना पड़ता है। भले वह आत्मसम्मान के लिए दहेज का बहिष्कार हो या शादी के बाद वह छोटी-छोटी रश्में, जैसे विदाई के लिए दिन रखना, मायके से रश्मों-रिवाजों पर कपडे भेजना अगैरह-वगैरह का विरोध पर भी परिवार-समाज उससे प्रतिशोध के लिए उठ खड़ा होता है। चाहे नवविवाहित औरत को कितना भी अपमानित किया जाए लेकिन यदि उसने एक छोटी सी चूक भी की तो परिवार के बड़े तो बड़े छोटे भी प्रतिशोध लेने उठ खड़े होते हैं। यह वही भारतीय समाज है, जहाँ बड़ों का आदर करना सिखाया जाता है पर विडम्बना यही है कि महिला हिंसा में सिर्फ घर के बड़े सास-ससुर ही नहीं बल्कि रिश्तों में छोटे ननद और देवर भी शामिल होते हैं। उस नवविवाहिता जिसका अपना बसा-बसाया घर उजड़ा हो और नया अभी बसा भी न हो ऐसी त्रासदी का लाभ उठाकर यह भारतीय समाज उसे शोषित करता है।

अपना नया घर बसाने और थोड़ी सम्मान और प्यार की लालसा रखने वाली नवविवाहिता के जिस्म के जरें-जरें से ऊर्जा निचोड़ ली जाती है, उन रीति-रिवाजों के नाम पर जो सूरज उगने से पहले जग जाए और रात में सोने से पहले सबके धोए कपड़े समेटकर, बिस्तर पर दूध पहुंचाकर, पैर दवाकर सबको सबका मन प्रसन्नचित न कर दे। घर के ये तमाम कार्य उसके नाम ऐसे कर दिया जाता है जैसे घर में नौकरानी आ गई हो, उसके होते कोई किसी कार्य को छू नहीं सकता, इससे उनका अपमान हो जाता है। इस बीच यदि वह बीमार पड़ जाय, तो छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही कोई सैलरी का। अस्पताल जाने के लिए उसे लोगों पर आश्रित रहना पड़ता है। यदि लोग उदार हुए तो अस्पताल तो ले जाएंगे लेकिन यही उस पर बहुत बड़ा एहसान हो जाता है। उसके लिए सेवा तो दूर आराम भी हिंसा का कारण बन जाता है। लोग इस कदर हिंसा पर उतर जाते हैं कि घर का कार्य तो कर ही सकती है कौन सा बोझा ढोना है? या कार्य के डर से बहाना है। लेकिन कहने को ये समाज बहु को घर की लक्ष्मी कहता है। ये अजीब दास्ताँ है, अजीब विडम्बना है, घर की लक्ष्मी की

महिलाओं का आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्तिकरण :- महिलाओ को समाज में उचित व सम्मानजनक स्थिति पर पहुँचाने के लिए, आर्ट आफ लिविंग ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आरम्भ किये हैं जो अलग पृष्ठभूमि की महिलाओं के आत्म सम्मान, आंतरिक शक्ति और रचनात्मकता को पोषण करने के लिए ठोस आधार प्रदान करते हैं। इस तरह से स्थापित महिलाएं आज अपने कौशल, आत्मविश्वास और शिष्टता के आधार पर दुनिया की किसी भी चुनौती को संभालने में सक्षम हैं। वे आगे आ रहीं हैं और अपने परिवारों, अन्य महिलाओं और समाज के लिए शांति और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में स्थापित कर रही हैं।

आर्ट आफ लिविंग द्वारा लिए गए 6 महिला सशक्तिकरण :-

1. आर्थिक स्वतंत्रता
2. लड़कियों की शिक्षा
3. एचआईवी एड्स
4. जेल कार्यक्रम
5. नेतृत्व संवर्धन
6. सामाजिक सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण पर प्रेरणा देती कहानियां :-

तीन युवा लड़कियों अपने दर्दनाक अतीत व् दिल और दिमाग में खुदी दर्दपूर्ण यादें लेकर श्री श्री सेवा मंदिर, गुंटूर आयी थी। महोदया 'माँ' के संरक्षण और स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन से, आज ज्योति, तत्वमसि और श्रावणी एक जीवंत व अविनाशी उत्साह के साथ मुस्कुराती हैं। इन तीनों की जीवनकहानी जानने हेतु यहाँ क्लिक करें।

शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण :- शिक्षा जीवन में प्रगति करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। महिलाओं के उत्थान व् सशक्तिकरण के लिए शिक्षा से बेहतर तरीका क्या हो सकता है ? अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से, आर्ट ऑफ लिविंग ने, बालिकाओं और महिलाओं को स्तरीय शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण भारत के दूरस्थ कोनों में भी समान रूप से सशक्त किया है।

भारत में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम :- आर्ट आफ लिविंग के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से, भारत और कई अन्य देशों में महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त है और वे सामाजिक अन्याय के खिलाफ भी खड़ी हुई हैं। इन महिलायों ने सकारात्मक परिवर्तन का सूत्रधार बनते हुए अन्य महिलाओं को भी शिक्षित व सशक्त बनाकर उनको अपनी आवाज व पहचान दिलाने में पुरजोर मेहनत की है।

आर्ट ऑफ लिविंग के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम एक उत्प्रेरक है जिन्होंने सदियों के अस्थिर प्रतिबंधो से मुक्त कर महिलाओं को योग्य मंच प्रदान करने में मदद की है जहाँ से वे स्वयं को सशक्त बनाकर भिन्न-2 क्षेत्रों में अपनी समानता को प्राप्त करने हेतु अग्रसर हैं।

पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम से संबंधित कुछ सफलता की कहानियां ।

1. सूखा प्रभावित देऊलगांव को मिला पानी (Water Problem Maharashtra in Hindi) आर्ट ऑफ लिविंग के 50 स्वयंसेवकों ने मिलकर गांव के 400 परिवारों की जलापूर्ति के लिए 50 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया है
2. प्रोजेक्ट उड़ान बना रहा है 11000 यौनकर्मियों के जीवन को आसान (Udaan Project Bengal in Hindi)

महिला सशक्तिकरण का पहला कदम:- श्री श्री रवि शंकर जी कहते है "सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक अनिर्भरता इन सभी से महिलाओं को छूटकारा पाना है तो जरुरत है महिला सशक्तिकरण की। पहले 'मै सक्षम हूं' इस बात का महिलाओं ने खुद को यकीन दिलाना जरुरी है। मै एक स्त्री हुं इस आत्मग्लानी में ना रहें। जब आप आत्मग्लानी में आते हो तब आपकी ऊर्जा, उत्साह और शक्ती कम होने लगती है। अध्यात्म का मार्ग एक हि ऐसा मार्ग है जहां आप आत्मग्लानी और अपराधी भावसे मुक्त हो सकती हो। आत्मग्लानी और अपराधी भाव इन दोनों में हम अपने मन के छोटेपन अनुभव करते है। जिससे आप अपनी आत्मा से और दूर जाती है। खुदको दोष देना बंद कर खुद कि तारीफ करना शुरू करें। तारीफ करना दैवी गुण है, है ना? मै स्त्री हूं, अबला हूं, ऐसी सोच भी कभी मन में ना लायें। ऐसी आंतरिक असमानता से कुछ भी हासिल नही होगा। आप डंटकर खडी हो जायें, अपने अधिकार प्राप्त करने हेतू जिस क्षमताकि जरुरत है वह सब आपमें है। निःसंशय समाज में बदलाव आना भी चाहिये। लेकीन आत्मग्लानी के भाव में रहकर यह बदलाव आप नहीं ला सकती। भारत में महिलाएँ भारत में महिलाओं की स्थिति

ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक, भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं।

शिक्षा और आर्थिक विकास :- 1992-93 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में केवल 9.2: घरों में ही महिलाएं मुखिया की भूमिका में हैं। हालांकि गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों में लगभग 35 को महिला मुखिया द्वारा संचालित पाया गया है। हालांकि भारत में महिला साक्षरता दर धीरे-धीरे बढ़ रही है लेकिन यह पुरुष साक्षरता दर से कम है। लड़कों की तुलना में बहुत ही कम लड़कियाँ स्कूलों में दाखिला लेती हैं और उनमें से कई बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। 1997 के नेशनल सैम्पल सर्वे डेटा के मुताबिक केवल केरल और मिजोरम राज्यों ने सार्वभौमिक महिला साक्षरता दर को हासिल किया है। ज्यादातर विद्वानों ने केरल में महिलाओं की बेहतर सामाजिक और आर्थिक स्थिति के पीछे प्रमुख कारक साक्षरता को माना है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम (एनएफई) के तहत राज्यों में 40 प्रतिशत केंद्र और केन्द्र शासित प्रदेशों में 10 प्रतिशत केंद्र विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वर्ष 2000 तक लगभग 0.3 मिलियन (तीन लाख) एनएफई केन्द्रों द्वारा तकरीबन 7.42 मिलियन (70 लाख 42 हजार) बच्चों को सेवा दी जा रही थी जिनमें से से लगभग 0.12 मिलियन (12 लाख) विशेष रूप से लड़कियों के लिए थे। शहरी भारत में लड़कियाँ शिक्षा के मामले में लड़कों के लगभग साथ-साथ चल रही हैं। हालांकि ग्रामीण भारत में लड़कियों को आज भी लड़कों की तुलना में कम शिक्षित किया जाता है।

अमेरिका के वाणिज्य विभाग की 1998 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं की शिक्षा की एक मुख्य रुकावट अपर्याप्त स्कूली सुविधाएं (जैसे कि स्वच्छता संबंधी सुविधाएं), महिला शिक्षकों की कमी और पाठ्यक्रम में लिंग भेद हैं (ज्यादातर महिला चरित्रों को कमजोर और असहाय दर्शाया गया है।

श्रमशक्ति की भागीदारी:- आम धारणा के विपरीत महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत कामकाजी है। राष्ट्रीय आंकड़ा संग्रहण एजेंसियाँ इस तथ्य को स्वीकार करती हैं कि श्रमिकों के रूप में महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक गंभीर न्यूनानुमान है। 25, हालांकि पारिश्रमिक पाने वाले महिला श्रमिकों की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत ही कम है। शहरी भारत में महिला श्रमिकों की एक बड़ी संख्या मौजूद है। एक उदाहरण के तौर पर सॉफ्टवेयर

उद्योग में 30 प्रतिशत कर्मचारी महिलाएं हैं। वे पारिश्रमिक और कार्यस्थल पर अपनी स्थिति के मामले में अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ बराबरी पर हैं।
ग्रामीण भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कुल महिला श्रमिकों के अधिक से अधिक 89.5 प्रतिशत तक को रोजगार दिया जाता है। 37, कुल कृषि उत्पादन में महिलाओं की औसत भागीदारी का अनुमान कुल श्रम का 55 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक है। 1991 की विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में डेयरी उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी कुल रोजगार का 94 प्रतिशत है। वन-आधारित लघु-स्तरीय उद्यमों में महिलाओं की संख्या कुल कार्यरत श्रमिकों का 51 प्रतिशत है। 37 प्रतिशत श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ सबसे प्रसिद्ध महिला व्यापारिक सफलता की कहानियों में से एक है। 2006 में भारत की पहली बायोटेक कंपनियों में से एक बायोकान की स्थापना करने वाली किरण मजूमदार-शॉ को भारत की सबसे अमीर महिला का दर्जा दिया गया था। ललिता गुप्ते और कल्पना मोरपारिया (दोनों भारत की केवल मात्र ऐसी महिला व्यवासियों में शामिल हैं जिन्होंने फोर्बस की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में अपनी जगह बनायी है) भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को संचालित करती हैं।

भूमि और संपत्ति संबंधी अधिकार

अधिकांश भारतीय परिवारों में महिलाओं को उनके नाम पर कोई भी संपत्ति नहीं मिलती है और उन्हें पैतृक संपत्ति का हिस्सा भी नहीं मिलता है। 25, महिलाओं की सुरक्षा के कानूनों के कमजोर कार्यान्वयन के कारण उन्हें आज भी जमीन और संपत्ति में अपना अधिकार नहीं मिल पाता है। वास्तव में जब जमीन और संपत्ति के अधिकारों की बात आती है तो कुछ कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं।
1956 के दशक के मध्य के हिन्दू पर्सनल लॉ (हिंदू, बौद्ध, सिखों और जैनों पर लिए लागू) ने महिलाओं को विरासत का अधिकार दिया। हालांकि बेटों को पैतृक संपत्ति में एक स्वतंत्र हिस्सेदारी मिलती थी जबकि बेटियों को अपने पिता से प्राप्त संपत्ति के आधार पर हिस्सेदारी दी जाती थी। इसलिए एक पिता अपनी बेटी को पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से को छोड़कर उसे अपनी संपत्ति से प्रभावी ढंग से वंचित कर सकता था लेकिन बेटे को अपने स्वयं के अधिकार से अपनी हिस्सेदारी प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त विवाहित बेटियों को, भले ही वह वैवाहिक उत्पीड़न का सामना क्यों ना कर रही हो उसे पैतृक संपत्ति में कोई आवासीय अधिकार नहीं मिलता था। 2005 में हिंदू कानूनों में संशोधन के बाद महिलाओं को अब पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाते हैं।
1986 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक वृद्ध और तलाकशुदा मुस्लिम महिला, शाहबानो के हक में फैसला सुनते हुए कहा कि उन्हें गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। हालांकि कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं ने इस फैसले का जोर-शोर से विरोध किया और उनहोंने यह आरोप लगाया कि अदालत उनके निजी कानून में हस्तक्षेप कर रही है। बाद में केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक संबंधी अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम को पारित किया।

इसी तरह ईसाई महिलाओं ने तलाक और उत्तराधिकार के समान अधिकारों के लिए वर्षों तक संघर्ष किया है। 1994 में सभी गिरजाघरों ने महिला संगठनों के साथ संयुक्त रूप से एक कानून का मसौदा तैयार किया जिसे ईसाई विवाह और वैवाहिक समस्याओं का कानून (क्रिस्चियन मैरेज एंड मैट्रिमोनियल काउजेज बिल) कहा गया। हालांकि सरकार ने प्रासंगिक कानूनों में अभी तक कोई संशोधन नहीं किया है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध: पुलिस रिकार्ड में महिलाओं के खिलाफ भारत में अपराधों का उच्च स्तर दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने 1998 में यह जानकारी दी थी कि 2010 तक महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की विकास दर जनसंख्या वृद्धि दर से कहीं ज्यादा हो जायेगी. पहले बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों को इनसे जुड़े सामाजिक कलंक की वजह से कई मामलों को पुलिस में दर्ज ही नहीं कराया जाता था। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ दर्ज किये गए अपराधों की संख्या में नाटकीय वृद्धि हुई है।

यौन उत्पीड़न :- 1990 में महिलाओं के विरुद्ध दर्ज की गयी अपराधों की कुल संख्या का आधा हिस्सा कार्यस्थल पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न से संबंधित था। लड़कियों से छेड़छाड़ (एव टीजिंग) पुरुषों द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक चालबाज तरकीब (युफेमिज्म) है। कई कार्यकर्ता (एक्टिविस्ट) महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के लिए "पश्चिमी संस्कृति" के प्रभाव को दोषी ठहराते हैं। विज्ञापनों या प्रकाशनों, लेखनों, पेंटिंग्स, चित्रों या किसी एनी तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व को रोकने के लिए 1987 में महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम पारित किया गया था। 1997 में एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक मजबूत पक्ष लिया। न्यायालय ने शिकायतों से बचने और इनके निवारण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किया। बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन दिशा-निर्देशों को नियोक्ताओं के लिए एक आचार संहिता के रूप में प्रस्तुत किया।

दहेज प्रथा :- 1961 में भारत सरकार ने वैवाहिक व्यवस्थाओं में दहेज की मांग को अवैध करार देने वाला दहेज निषेध अधिनियम पारित किया। हालांकि दहेज-संबंधी घरेलू हिंसा, आत्महत्या और हत्या के कई मामले दर्ज किये गए हैं। 1980 के दशक में कई ऐसे मामलों की सूचना दी गयी थी।

1985 में दहेज निषेध (दूल्हा और दुल्हन को दिए गए उपहारों की सूचियों के रख-रखाव संबंधी) नियमों को तैयार किया गया था। 46, इन नियमों के अनुसार दुल्हन और दूल्हे को शादी के समय दिए गए उपहारों की एक हस्ताक्षरित सूची बनाकर रखा जाना चाहिए। इस सूची में प्रत्येक उपहार, उसका अनुमानित मूल्य, जिसने भी यह उपहार दिया है उसका नाम

और संबंधित व्यक्ति से उसके रिश्ते एक संक्षिप्त विवरण मौजूद होना चाहिए। हालांकि इस तरह के नियमों को शायद ही कभी लागू किया जाता है।

1997 की एक रिपोर्ट 47. में यह दावा किया गया था कि दहेज के कारण प्रत्येक वर्ष कम से कम 5,000 महिलाओं की मौत हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि हर दिन कम से कम एक दर्जन महिलाएं जान-बूझकर लगाई गयी "रसोईघर की आग" में जलाकर मार दी जाती हैं। इसके लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है "दुल्हन की आहुति" (ब्राइड बर्निंग) और स्वयं भारत में इसकी आलोचना की जाती है। शहरी शिक्षित समुदाय के बीच इस तरह के दहेज उत्पीड़न के मामलों में काफी कमी आई है।

बाल विवाह :- भारत में बाल विवाह परंपरागत रूप से प्रचलित रही है और यह प्रथा आज भी जारी है। ऐतिहासिक रूप से कम उम्र की लड़कियों को यौवनावस्था तक पहुँचने से पहले अपने माता-पिता के साथ रहना होता था। पुराने जमाने में बाल विधवाओं को एक बेहद यातनापूर्ण जिंदगी देने, सर को मुंडाने, अलग-थलग रहने और समाज से बहिष्कृत करने का दंड दिया जाता था। हालांकि 1860 में बाल विवाह को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था लेकिन आज भी यह एक आम प्रथा है।
यूनिसेफ की "स्टेट आफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन-2009" की रिपोर्ट के अनुसार 20-24 साल की उम्र की भारतीय महिलाओं के 47 प्रतिशत की शादी 18 साल की वैध उम्र से पहले कर दी गयी थी जिसमें 56 प्रतिशत महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से थीं। रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया कि दुनिया भर में होने वाले बाल विवाहों का 40 प्रतिशत अकेले भारत में ही होता है।

कन्या भ्रूण हत्या और लिंग के अनुसार गर्भपात :- भारत में पुरुषों का लिंगानुपात बहुत अधिक है जिसका मुख्य कारण यह है कि कई लड़कियां वयस्क होने से पहली ही मर जाती हैं। भारत के जनजातीय समाज में अन्य सभी जातीय समूहों की तुलना में पुरुषों का लिंगानुपात कम है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि आदिवासी समुदायों के पास बहुत अधिक निम्न स्तरीय आमदनी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं। इसलिए कई विशेषज्ञों ने यह बताया है कि भारत में पुरुषों का उच्च स्तरीय लिंगानुपात कन्या शिशु हत्या और लिंग परीक्षण संबंधी गर्भपातों के लिए जिम्मेदार है। जन्म से पहले अनचाही कन्या संतान से छुटकारा पाने के लिए इन परीक्षणों का उपयोग करने की घटनाओं के कारण बच्चे के लिंग निर्धारण में इस्तेमाल किये जा सकने वाले सभी चिकित्सकीय परीक्षणों पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कन्या शिशु हत्या (कन्या शिशु को मार डालना) आज भी प्रचलित है। भारत में दहेज परंपरा का दुरुपयोग लिंग चयनात्मक गर्भपातों और कन्या शिशु हत्याओं के लिए मुख्य कारणों में से एक रहा है।

घरेलू हिंसा :- घरेलू हिंसा की घटनाएं निम्न स्तरीय सामाजिक-आर्थिक वर्गों (एसईसी) में अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। घरेलू हिंसा कानून, 2005 से महिलाओं का संरक्षण 26 अक्टूबर 2006 को अस्तित्व में आया।

तस्करी :- अनैतिक तस्करी (रोक) अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। हालांकि युवा लड़कियों और महिलाओं की तस्करी के कई मामले दर्ज किये गए हैं। इन महिलाओं को वेश्यावृत्ति, घरेलू कार्य या बाल श्रम के लिए मजबूर किया जाता रहा है।

निष्कर्ष :-

भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिये महिलाओं के खिलाफ बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा जो कि समाज की पितृसत्तामक और पुरुष प्रभाव युक्त व्यवस्था है। जरुरत है कि हम महिलाओं के खिलाफ पुरानी सोच को बदले और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाये।

सशक्तिकरण विडम्बनाओं और विरोधाभासों को दूर करने के लिए है। हालांकि इसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि आजादी के 72 साल बीत गएय जाने और कितने साल लगेंगे या फिर समाज एक और क्रांति की मांग कर रहा है ? एक और आजादी की मांग कर रहा है? मन में उठ रहे यह सवाल महज एक सवाल नहीं भविष्य है। यह गर्भ में पल रहे भ्रूण की भांति औरतों के मन में पलने लग चुका है, एक दिन इसे अवतरित होना ही होगा। वह दिन दूर नहीं जब सबरीमाला मंदिर महिलाओं का स्वागत करेगा, तीन तलाक, दहेज प्रथा, घरेलु हिंसा, योन हिंसा आदि कुप्रथाएं खत्म होगी। इसी के साथ खत्म होगी शोषणकारी रिति-रिवाजें भी, जिसने समाज को घुन की तरह खोखला कर दिया है। औरतें तीज और करवा चौथ की जगह स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस का आनंद लेंगी। सिंदूर और सात फेरों की जगह विवाह पंजीकरण के द्वारा करेंगी, सूरज उगने से पहले वह जगेंगी जरूर लेकिन, अपने पतियों के साथ, दोनों मिल बांटकर काम करेंगे, रात में सोने से पहले कपड़ें समेटना, दूध का ग्लास पहुँचाना, बच्च संभालना और पैर दबाना जैसे कार्य सभी एक-दूसरे के लिए करेंगे। सम्मान और प्यार भी होगा, जबरदस्ती नहीं, सम्मान के बदले प्यार और प्यार के बदले सम्मान ।

संदर्भ सूची:-

1. शर्मा, रमा व मिश्रा, एम० के०, (2001), महिला विकास, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
2. शर्मा, प्रज्ञा, (2001), भारतीय समाज में नारी, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।
3. सिंह, करण बहादुर, (2006), महिला अधिकार व सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र पब्लिकेशन।
4. अरविन्द कुमार शुक्ल-आधी दुनिया-विकास की राह पर, कुरूक्षेत्र, मार्च 2007, पृ.क्र. 5

5. प्रतापमल देवपुरा-महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व, कुरूक्षेत्र मार्च 2008, पृ.क्र. 4
6. प्रदीप कुमार सिंह-संगठित महिलाएं सशक्त समाज, कुरूक्षेत्र जून 2010, पृ.क्र. 3
7. राहुल यादव-तरक्की की धुन पर थिरकती ग्रामीण महिलाएं, कुरूक्षेत्र सितम्बर 2011, पृ.क्र. 3
8. डॉ. संतोष जैन पासी एवं सुरिन्द्रा जैन-बालिका सशक्तिकरण में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण का महत्व, कुरूक्षेत्र जनवरी 2016, पृ.क्र. 19
9. फादिया, बी.एल. (2007), पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
10. छिल्लर, मंजुलता, (2010), भारतीय नारी शोषण के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
11. शर्मा, रमा व मिश्रा, एम० के०, (2010), भारतीय समाज में नारी, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
12. डॉ. कुमकुम रांकावत-महिला सशक्तिकरण आहार एवं पोषण के सन्दर्भ में
13. महिला सशक्तिकरण एवं लौगिक समानता (डॉ. मीनाक्षी मीना, डॉ. सोनिया शर्मा)
14. डॉ. सपना सोनी सन 2013 "ग्रामीण महिला सशक्तिकरण-एक विश्लेषण" नवीन शोध सागर।
15. नव भारत पत्रिका वर्ष 2017
16. पत्रिका समाचार पत्र, वर्ष 2018
17. www.google.com/wikipedia.com